न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आंई.ए.एस.

क.सं.	निगरानी संख्या	प्रार्थीगण	बनाम्	अप्रार्थीगण
1.	36 / 2013	मनोज कुमार पुत्र धींगड़मल जाति ओसवाल निवासी सिणधरी तहसील,सिणधरी		1.ग्राम पंचायत सिणधरी जरिये ग्राम पंचायत सिणधरी 2.कमलेश कुमार पुत्र पारसमल जाति ओसवाल निवासी सिणधरी हाल सूरत 3.नरपतचन्द पुत्र धींगड़मल जाति ओसवाल निवासी सिणधरी
2.	37 / 2013	मनोज कुमार पुत्र धींगड़मल जाति ओसवाल निवासी सिणधरी तहसील,सिणधरी		1.ग्राम पंचायत सिणधरी जरिये ग्राम पंचायत सिणधरी 2.पारसमल पुत्र धींगड़मल जाति ओसवाल निवासी सिणधरी हाल सूरत 3.नरपतचन्द पुत्र धींगड़मल जाति ओसवाल निवासी सिणधरी
3.	38 / 2013	मनोज कुमार पुत्र धींगड़मल जाति ओसवाल निवासी सिणधरी तहसील,सिणधरी		1.ग्राम पंचायत सिणधरी जरिये ग्राम पंचायत सिणधरी 2.शांतिलाल पुत्र धींगड़मल जाति ओसवाल निवासी सिणधरी हाल सूरत 3.नरपतचन्द पुत्र धींगड़मल जाति ओसवाल निवासी सिणधरी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 65,66 एंव 67 दिनांक 06.06.2013 जो ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 कमलेश कुमार,पारसमल एंव शान्तिलाल के नाम जारी किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थितः– 1. श्री मदनलाल सिंगल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित
3.श्री जसवंत बोहरा अधिवक्ता अप्रार्थी सं.02 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 03 एंव अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.02.2018

1. इन सभी निगरानीयों में एक समान तथ्य एंव एक ही विवाद बिन्दु होने से इनका निस्तारण संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 कमलेश कुमार,पारसमल एंव शांतिलाल ने पृथक–पृथक आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम सिणधरी की आबादी भूमि में 150 वर्ग गज का पट्टा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिये नियमानुसार पट्टा जारी करावें। इस पर ग्राम पंचायत सिणधरी ने पत्रावली कायम कर अप्रार्थी कमलेश कुमार, पारसमल एंव शान्तिलाल के नाम नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 65,66 एंव 67 दिनांक 06.06.2013 को जारी किया। प्रार्थी का यह कथन है कि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य का कब्जा सुद भूखण्ड मय दुकानो व गोदाम ग्राम पंचायत सिणधरी की आबादी भूमि में आया हुआ है जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम पंचायत से मिलकर अपने नाम पट्टा नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा बनवा लिया। इस पट्टा विलेख को अपने स्वामित्व, आधिपत्य एंव नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए प्रार्थी ने यह धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की।
3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिणधरी से पट्टा से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया।
4. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री जसवंत बोहरा ने जवाब पेश कर निगरानी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01,02,04 गलत होने से अस्वीकार करते हुए निगरानी याचिका गलत,निराधार एंव विधि के प्रतिकूल होने से मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।
5. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है प्रार्थी के स्वामित्व एंव आधिपत्य का कब्जा सुदा भूखण्ड मय दुकानो व गोदाम ग्राम जो उतर दक्षिण 108 व पूर्व पश्चिम 50 फीट का,जिसके पाड़ोस उतर में लिखमाराम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सैन, दक्षिण में रामदेव मन्दिर,पूर्व में मेगा हाईवे सांचोर से बालोतरा जाने वाली व पश्चिम में भेराराम भलाराम गवारिया का भूखण्ड पंचायत सिणधरी चोसीरा की आबादी भूमि में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थी की दो दुकाने,एक गोदाम ,पानी का टांका व छपरा वगैरा व चार दीवारी बनी हुई है। इस परिसर में लाईट व पानी का कनेक्शन प्रार्थी के नाम का है। अप्रार्थी संख्या 02 का ग्राम सिणधरी में कई वर्षो से निवास नहीं होने एंव इस भूखण्ड में कोई स्वामित्व नहीं होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 02 ने नियम विरूद्ध तरीके से अपने नाम से पट्टा जारी करवा लिया, जो गलत है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 तक की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिक रूप से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है,स्थल निरीक्षण एंव नक्शा फीस की राशि जमा नहीं कराई है। विधि सम्मत आपति नोटिस जारी नहीं किया गया है। नोटिस किस स्थान पर चस्पा किया गया है, पर कोई अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है जो गलत है क्योकि जबकि नियम 157(2) के तहत ऐसे परिवार जिनके पास कहीं भी कोई गृह या स्थल नहीं हो और जिनका वर्ष 2003 तक कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है ऐसा पट्टा महिला के नाम से जारी किया जायेगा,जो ऐसे परिवार की मुखिया हो जबकि अप्रार्थी संख्या 02 का वादगस्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने 912(3) डीएनजे(राज) पेज 1399, 2017(2)डीएनजे(राज) पेज 668 के न्याय दृष्टांत पेश करते हुए पट्टा रजिस्टर्ड होने के बावजूद उसे लीगल नहीं मानने,विवादग्रस्त भूखण्ड पर निर्मित मकान की मौजूदगी का उल्लेख नहीं होने एंव नियम 145 से 157 की अवहेलना बताते हुए प्रार्थी की भूमि पर जारी जारी पट्टा को निरस्त करने का निवेदन किया।

6. इसके जवाब में अप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी द्वारा जिस नाप व पाड़ोस का परिसर बताया है वह परिसर मय मकान अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा की भूमि पर लोकेट नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा आबादी भूमि में उनके कब्जा सुद प्लाट का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत सिणधरी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था। जिस पर पत्रावली संख्या कायम कर 3 पंचो की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की हैं, नोटिस जारी किया गया है। इसके

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पश्चात् आपतियां आमंत्रित की गई थी। यदि प्रार्थी की सम्पति होती तो उसी समय उजरदारी पेश करते परन्तु कोई उजरदारी पेश नहीं की है। मौका कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या 02 को नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है उसका विक्रय पत्र ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया है। जिससे अप्रार्थी को पट्टा की भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो चुका है, जिसे अब निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये प्रार्थी की निगरानी निराधार,गलत एंव विधि विरूद्ध होने से मय खर्चा खारिज की जाए।

7. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा से प्राप्त रेकर्ड एंव विकास अधिकारी पंचायत समिति सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि है उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य का कब्जा सुदा भूखण्ड मय दुकानो व गोदाम ग्राम जो उतर दक्षिण 108 व पूर्व पश्चिम 50 फीट का, जिसके पाड़ोस उतर में लिखमाराम सैन,दक्षिण में रामदेव मन्दिर,पूर्व में मेगा हाईवे सांचोर से बालोतरा जाने वाली व पश्चिम में भेराराम भलाराम गवारिया का भूखण्ड पंचायत सिणधरी चोसीरा की आबादी भूमि में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थी की दो दुकाने,एक गोदाम ,पानी का टांका व छपरा वगैरा व चार दीवारी बनी हुई है। इस परिसर में लाईट व पानी का कनेक्शन प्रार्थी के नाम का है,और प्रार्थी ने इस भूखण्ड को किराये पर दिया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज क अवलोकन से वादग्रस्त पट्टा की भूमि पर प्रार्थी मनोज कुमार के नाम लाईट एंव पानी का कनेक्शन लिया हुआ है एंव किरायानामा अनुसार विवादग्रस्त पट्टा की भूमि किराये पर देना अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट,नजरी नकशा एंव फोटोग्राफ्स अनुसार वादग्रस्त भूखण्ड ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान के मेघा हाईवे पर सिणधरी सांचोर रोड पर 50X110 वर्ग फीट का भूखण्ड स्थित होने, जिसके चारो और 07 फीट की ऊँचाई में चार दीवारी निर्मित होने,उतर पश्चिम दिशा में एक 12X18 फीट का बंद कमरा,पूर्व दक्षिण के कोरनर में 14X24 वर्ग फीट में एक पक्की दुकान बनी हुई होने इस दुकान के पीछे दक्षिण दिशा में लगभग 35 फीट में लोहे के चद्दर टीन शैड लाकर कमरा बना हुआ तथा वर्तमान में इस भूखण्ड मे मोटर गेरेज का कार्य होने तथा मोटर गेरेज मालिक द्वारा भूखण्ड का किराया मनोजकुमार को देने एंव प्रार्थी वर्तमान में

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बाहर गया हुआ होना बताया है। अतः विकास अधिकारी सिणधरी की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त पट्टा की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा साबित होना प्रकट है। अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा की भूमि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दस्तावेज ग्राम पंचायत की पत्रावली में प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 02 के हक मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि नियम 146 के तहत 3 पंचो की समिति नियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में अंकित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगीं। पत्रावली पर रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध है। मगर मौका रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 का कितने वर्षो से कब्जा है एंव अप्रार्थी उपरोक्त माप की भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है अथवा नहीं इसका अंकन मौका निरीक्षण रिपोर्ट में नहीं किया गया है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्ररूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आंमत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थीं। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है, मगर नोटिस की प्रतियां किस-किस स्थान पर चस्पा की गयी है इसका अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत ने यह पट्टा नियम 157(2) के तहत जारी किया है। इस नियम के तहत ऐसे परिवार,जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है,और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी,झोंफड़ी/कच्चे-गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है को मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होगे और ऐसी भूमि का पट्टा ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। मगर इस नियम के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा के पुराने निर्मित मकान का मौजूद होने का कोई साक्ष्य दस्तावेज न तो ग्राम पंचायत की पत्रावली में नहीं है और न ही अप्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। अतः इस नियम के तहत अप्रार्थी संख्या 02 वादग्रस्त पट्टा की भूमि पर पट्टा जारी कराने का पात्रता नहीं रखता है। प्रार्थी का यह कथन कि जारी पट्टा का पंजीयन कराया गया, मगर पंजीबद्ध पट्टा अगर नियमो के विरूद्ध जारी किया गया हो तो पंजीबद्ध पट्टा भी निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

एंव ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 145 से 157 की पूर्ण पालना नहीं की गई है एंव निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना एंव जॉच किये बिना ही ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 कमलेश कुमार, पारसमल एंव शान्तिलाल के पक्ष में जारी पट्टा 65,66 एवं 67 दिनांक 06.06.2013 को खारिज किया जाता हैं।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर